विनोद के. चावला

बनाम

भारतीय संघ व अन्य

18 अगस्त, 2006

[के.जी. बालाकृष्णन और जी.पी. माथुर, जेजे.]

संरक्षण और विदेशी मुद्रा और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974-धारा 3(1)- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बेहद कम कीमत पर आयात करके और आयात और विशेषज्ञ नीति को दरकिनार करके बड़े पैमाने पर सीमा शुल्क की चोरी के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया गया था - उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक वर्ष से अधिक समय के बाद हिरासत में लिया गया व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका/हिरासत आदेश को इस आधार पर चुनौती देना कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष एक महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं रखा गया था जो राय को प्रभावित कर सकता था; कि हिरासत आदेश के संबंध में उनके अभ्यावेदन का निपटान करने में अत्यधिक देरी हुई थी; और अपमानजनक गतिविधियों और वास्तविक गिरफ्तारी के बीच की लंबी अवधि को देखते हुए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं है-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी - धारणा की सत्यता- कानून के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दस्तावेज़ या सामग्री को राय बनाने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक रूप से रखा जाए - तथ्यों पर, प्रासंगिक दस्तावेज़ को प्रस्तुत न करने से हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की राय के गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बंदी के अभ्यावेदन के निस्तारण में कोई अत्यधिक विलंब नहीं हुआ - लंबी अवधि तक गिरफ्तारी से बचकर

बंदी के स्वयं के कृत्य के आधार पर नजरबंदी आदेश को अमान्य नहीं किया जा सकता है।

इस जानकारी के आधार पर कि अपीलकर्ता उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बेहद कम कीमत पर आयात करके और आयात और निर्यात नीति को दरकिनार कर और अवैध चैनलों के माध्यम से भुगतान भेजकर बड़े पैमाने पर सीमा शुल्क की चोरी में लिप्त था, उत्तरदाताओं ने एक साथ खोज की। अपीलकर्ता के आवासीय, व्यावसायिक और फैक्ट्री परिसरों में जहां कई आपत्तिजनक लेख और दस्तावेज बरामद किए गए थे। संरक्षण और विदेशी मुद्रा और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3(1) के तहत हिरासत का आदेश पारित किया गया था। अपीलकर्ता को एक वर्ष से अधिक समय के बाद हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था जब उसे गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह पहले फरार था। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अपीलकर्ता ने हिरासत आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के बेटे द्वारा दिए गए मुकरने के बयान को दर्ज करने वाले दस्तावेज़ को दबा दिया गया था और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा नहीं रखा गया था; महत्वपूर्ण दस्तावेज न रखे जाने से उसके खिलाफ हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की राय प्रभावित हो सकती है और इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ पारित हिरासत आदेश अवैध है; कि हिरासत आदेश के प्रतिवेदन के निपटारे में अत्यधिक अस्पष्ट देरी हुई थी और इसलिए उसकी निरंतर हिरासत को अवैध करार दिया जाना चाहिए; और यह कि उसे हिरासत में लेने का उचित कारण खत्म हो गया है क्योंकि उसकी कथित गतिविधियों और हिरासत के आदेश की तामील के बीच एक लंबा अंतराल था।

कोर्ट द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:-

1.1. कानून में यह आवश्यक नहीं है कि प्रायोजक प्राधिकारी के कब्जे में प्रत्येक दस्तावेज या सामग्री को उसके द्वारा हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए और प्रत्येक मामले में जहां प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या सामग्री हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा जाता है, का गठन हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की राय और व्यक्तिपरक संतुष्टि ख़राब हो जाएगी। मात्र तथ्य यह है कि प्रायोजक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के बेटे द्वारा दिए गए बयान को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की राय का गठन और व्यक्तिपरक संतुष्टि किसी भी तरह से खराब हो गई थी। [661-ई-एफ; 662-ई]

अब्दुल सथार इब्राहिम माणिक बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (1991) एससी 2261: [1992] 1 एससीसी 1; के. वरधराज बनाम टी.एन. राज्य और अन्य, [2002] 6 एससीसी 735; एम. अहहमेदुकुट्टी बनाम भारत संघ, [1990] 2 एससीसी 1; सुनीला जैन बनाम भारत संघ, [2006] 3 एससीसी 321; आशादेवी बनाम के.शिवराज, अति. सरकार के मुख्य सचिव। गुजरात का, [1979] 1 एससीसी 222; अय्या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1989] 1 एससीसी 374 और शीतलराम सोमानी बनाम राजस्थान राज्य, [1986] 2 एससीसी 86, से संदर्भित।

2. अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि हिरासत को अवैध करार दिया जाना चाहिए क्योंकि नजरबंदी आदेश के प्रति उसके अभ्यावेदन के निपटान में अत्यधिक अस्पष्टीकृत देरी हुई थी, इसे पहले से अलग किए गए किसी भी सीधे जैकेट फॉर्मूले द्वारा नहीं आंका जा सकता है। इसकी जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में की जानी चाहिए, जिसमें हिरासत के आधार की मात्रा और सामग्री, आधार के साथ प्रदान किए गए दस्तावेज, विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच, हिरासत की प्रकृति, उठाई गई विभिन्न दलीलों की जांच करने के लिए आवश्यक समय, संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा टिप्पणियां दर्ज करने में आवश्यक समय, इत्यादि

शामिल हो। अपीलकर्ता को पूरी तरह से समझाया गया है और किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करते हुए अत्यधिक देरी हुई थी या कोई अस्पष्ट देरी हुई थी। [662-एच; 663-ए; 664-डी, ई]

एल.एम.एस. उम्मू सलीमा बनाम बी.बी. गुजरात और अन्य, एआईआर (1981) एससी 1191; फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम डब्ल्यू.सी. खांबरा, एआईआर (1980) एससी 849; मदन लाल आनंद बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर (1990) एससी 176; कमरुन्निसा बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (1991) एससी 1640 और बीरेंद्र कुमार राय बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (1993) एससी 962, का उल्लेख किया गया है।

3. अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि हिरासत को अवैध करार दिया जाना चाहिए क्योंकि नजरबंदी आदेश के प्रति उसके अभ्यावेदन के निपटान में अत्यधिक अस्पष्टीकृत देरी हुई थी, इसे पहले से अलग किए गए किसी भी सीधे जैकेट फॉर्मूले द्वारा नहीं आंका जा सकता है। तथ्य यह स्थापित करते हैं कि हिरासत का आदेश जो तलाशी के तुरंत बाद पारित किया गया था और अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया गया था, उसे तामील नहीं किया जा सका, जबकि अपीलकर्ता के फरार होने के कारण उसे तामील कराने के हर संभव प्रयास किए गए थे। जहां कोई व्यक्ति स्वयं हिरासत आदेश की तामील से बचता है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि अपमानजनक गतिविधियों और वास्तविक गिरफ्तारी तथा सजा के बीच लंबी अवधि बीत चुकी है, महत्वपूर्ण कड़ी टूट चुकी थी और वास्तव में उसे हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं था। किसी अन्यथा वैध हिरासत आदेश को बंदी के स्वयं के गिरफ्तारी से बचने और खुद को दुर्लभ बनाने के कार्य के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता है। [665-डी-एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 793/1999।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आपराधिक रिट याचिका संख्या 517/1998 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.1.1999 से।

हरजिंदर सिंह, टी.एल.वी. अय्यर, वंदना शर्मा और एस.वी. देशपांडे, अपीलकर्ता की ओर से।

ए. शर्मा, ए.एस.जी., बीनू टम्टा, आनंद तिवारी और पी. परमेश्वरन, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जी.पी.माथुर, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के 27.1.1999 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा धारा 3 (1) के तहत 12.2.1997 को उसके खिलाफ पारित हिरासत आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (संक्षेप में 'COFEPOSA') को खारिज कर दिया गया था।

2. यद्यपि हिरासत आदेश 12.2.1997 को पारित किया गया था, लेकिन अपीलकर्ता को एक वर्ष से अधिक समय के बाद 12.3.1998 को इसकी तामीली दी जा सकी जब उसे हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वह फरार था। अपीलकर्ता ने इसके तुरंत बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका दायर की, जिसे 27.1.1999 को खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता पहले ही हिरासत की पूरी अवधि काट चुका है, लेकिन वह वर्तमान अपील को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि उसे तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के तहत कार्यवाही की धमकी दी गई है।

3. हिरासत के आधार में उल्लेख किया गया है कि राजस्व खुफिया निदेशक, नई दिल्ली (संक्षेप में 'डीआरआई') को जानकारी मिली थी कि अपीलकर्ता उपभोक्ता

इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बेहद कम कीमत पर आयात करके सीमा शुल्क की बड़े पैमाने पर चोरी में लिप्त था और आयात और निर्यात नीति को दरकिनार करके और अवैध चैनलों के माध्यम से इसके लिए भुगतान प्रेषित करना। माल अपीलकर्ता के स्वामित्व वाली विभिन्न फर्मों और चिंताओं के माध्यम से आयात किया गया था। उक्त जानकारी के आधार पर, डीआरआई के अधिकारियों ने 20.12.1996 को अपीलकर्ता के सात आवासीय/व्यावसायिक/फैक्टरी परिसरों में एक साथ तलाशी ली, जिसमें कई आपत्तिजनक लेख और दस्तावेज बरामद किए गए। 30 दिसंबर, 1996 को भी आगे की तलाशी ली गई और विदेशी मूल के कुछ और सामान बरामद किए गए, जिससे उत्पाद शुल्क की चोरी की पुष्टि हुई। उनका बयान 19 और 20 दिसंबर, 1996 और 30 जनवरी, 1997 को दर्ज किया गया था। एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने 12.2.1997 को COFEPOSA की धारा 3(1) के तहत विवादित आदेश पारित किया। अपीलकर्ता हिरासत आदेश की तामील से बच गया और फरार हो गया। काफी प्रयास करने और COFEPOSA की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने के बाद , अपीलकर्ता को 12.3.1998 को हिरासत आदेश की प्रति दी गई जब उसे हिरासत में लिया गया। सलाहकार बोर्ड द्वारा यह राय दर्ज करने के बाद कि उसकी हिरासत के लिए पर्याप्त कारण था, अपीलकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके हिरासत आदेश को चुनौती दी और कई दलीलें दीं लेकिन इसे 27.1.1999 को खारिज कर दिया गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि हिरासत का आधार अपीलकर्ता के बेटे आशीष चावला द्वारा 7.1.1997 और 8.1.1997 को डीआरआई के अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान का संदर्भ देता है। हालाँकि, जब उन्हें 8.1.1997 को एसीएमएम, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, तो उन्होंने डीआरआई के अधिकारियों के समक्ष कथित तौर पर दिए गए बयान को विशेष रूप से वापस ले

लिया। 8.1.1997 को दिया गया आशीष चावला का उक्त बयान, जिसके द्वारा वह विशेष रूप से डीआरआई के अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान से मुकर गया था, को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा नहीं रखा गया था और इसलिए, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो की राय को प्रभावित कर सकता है हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को किसी न किसी तरह से दबा दिया गया था और उसके (हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी) के सामने नहीं रखा गया था और इस प्रकार अपीलकर्ता के खिलाफ पारित हिरासत आदेश अवैध है। इस प्रस्तुतीकरण के समर्थन में आशादेवी बनाम के. शिवराज, अपर पर भरोसा रखा गया है । सरकार के मुख्य सचिव। गुजरात (1979) 1 एससीसी 222, जिसमें इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> "यदि सामग्री या महत्वपूर्ण तथ्य जो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के दिमाग को एक या दूसरे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, इस सवाल पर कि हिरासत का आदेश दिया जाए या नहीं, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पहले नहीं रखा जाता है या उस पर विचार नहीं किया जाता है, तो यह उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि को ख़राब कर देगा। हिरासत आदेश को अवैध बनाना।"

> अय्या बनाम यूपी राज्य (1989) 1 एससीसी 374, पर भी भरोसा रखा गया है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि :

> "यदि साक्ष्य का एक टुकड़ा, जो बाध्यकारी न होते हुए भी प्रासंगिक था, उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया, तो दिमाग का उपयोग न करने के आधार पर हिरासत को ख़राब कर दिया जाएगा। यदि साक्ष्य का एक टुकड़ा, जो उचित रूप से निर्णय को प्रभावित कर सकता था, चाहे वह हो या हिरासत का आदेश पारित न करने को विचार से बाहर रखा गया है, दिमाग का उपयोग करने में विफलता

होगी, जो बदले में, हिरासत को ख़राब कर देती है। हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी सामग्री पर विचार करने के बाद बहुत अच्छी तरह से उसी निष्कर्ष पर आ सकता है; लेकिन इसमें मामले के तथ्यों पर विचार करने में चूक से भौतिकता का पता चलता है।"

अपने तर्क को पुष्ट करते हुए अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सीता राम सोमानी बनाम राजस्थान राज्य (1986) 2 एससीसी 86 पर भी भरोसा किया है, जिसमें यह देखा गया था कि निर्णय लेने से पहले हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को प्रासंगिक सामग्री पर विचार करना था। COFEPOSA के तहत अपीलकर्ता को हिरासत में लेना आवश्यक था और ऐसा नहीं किए जाने पर, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक सामग्री पर स्पष्ट रूप से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया था।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विवाद की जांच करने के लिए, दिनांक 12.2.1997 के निरोध आदेश का संदर्भ लेना आवश्यक है और उसके संबंधित भाग, जिसका विवाद में विवाद पर असर पड़ता है, को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"राजस्व खुफिया निदेशालय, डी ब्लॉक, आईपी भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली को सूचना मिली कि आप यानी श्री विनोद कुमार चावला, निवासी ई-526, ग्रेटर कैलाश-द्वितीय, नई दिल्ली बड़े पैमाने पर कर चोरी में लिप्त थे। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों को चालान की कीमतों से कम पर आयात करने और आयात और निर्यात नीति को दरकिनार करने और कंप्यूटर सहायक उपकरण, कनेक्टर और केबल के आपके व्यवसाय के माध्यम से अवैध चैनलों के माध्यम से भुगतान भेजने के माध्यम से सीमा शुल्क। इन सामानों को स्वामित्व वाली विभिन्न फर्मों के माध्यम से आयात किया जा रहा है आप अर्थात् (i) मैसर्स

कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (ii) मैसर्स लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, (iii) मैसर्स विंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स, नोएडा, (iv) मैसर्स मोबिकॉन एंटरप्राइजेज, न्यू दिल्ली।

उक्त जानकारी के अनुसरण में, राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने 10.12.1996 को आपके स्वामित्व वाली विभिन्न फर्मों के आवासीय/व्यावसायिक/कारखाना परिसरों में एक साथ तलाशी ली, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

1. मैसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड का व्यावसायिक परिसर। लिमिटेड, जी-3, ओसियन बिल्डिंग, 12, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

2. मैसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री जे.सी मल्होत्रा का आवासीय परिसर।

3. मैसर्स विंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मैसर्स मोबिकॉन एंटरप्राइजेज का व्यावसायिक परिसर 309, लाजपत राय मार्केट, दिल्ली 6 पर स्थित है।

4. आपका आवासीय परिसर के-526, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है।

5. मैसर्स विंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स का कारखाना परिसर ए-62, सेक्टर 16, नोएडा, जिला गाजियाबाद (यूपी) में स्थित है।

6. मैसर्स लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का कारखाना परिसर ई-3, सेक्टर VIII, नोएडा, जिला गाजियाबाद (यूपी) में स्थित है।

7. मेसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स का गोदाम 7-1/147, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में स्थित है। उक्त परिसर मैसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स के सेल्स असिस्टेंट श्री पूरन चंद जोशी का आवासीय परिसर भी है।"

3. तलाशी के परिणामस्वरूप, क्रम संख्या 1, 3 और 6 पर सूचीबद्ध परिसरों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए, जिन्हें अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए फिर से शुरू कर दिया है। ऊपर क्रम संख्या 7 पर सूचीबद्ध परिसर में 14.83 लाख रुपये मूल्य के विदेशी मूल के आयातित सामान बरामद किए गए, जिन्हें आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उपस्थित पदाधिकारी उक्त सामान के वैध आयात और अधिग्रहण के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। बाद में 11.12.97 को क्रम संख्या 6 पर सूचीबद्ध परिसर में की गई तलाशी में कई सामान मिले। उक्त परिसर के तहखाने से स्पीकर, कैबिनेट, कनेक्टर और एटी एंड टी केबल, सभी विदेशी मूल के लगभग 35 लाख रुपये मूल्य के बरामद किए गए। इन्हें भी आगे की जांच होने तक हिरासत में लिया गया था, और बाद में 17.12.1996 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया था क्योंकि आपके सहित कोई भी व्यक्ति उनके सही और वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले कानूनी आयात के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका था।

5. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 के तहत 19.12.96 को दर्ज किए गए अपने बयान में आपने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि शुरुआत में आपने मेसर्स विंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स, 309, लाजपत राय नामक फर्म के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद और बिक्री

का व्यवसाय शुरू किया था । मार्केट, दिल्ली 6; उसी स्थान पर आपने 1984-85 में एक और फर्म, मेसर्स लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड खोली, जिसके आप प्रबंध निदेशक थे। इसके अतिरिक्त आपका एक व्यापारिक केन्द्र भी था मैसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड जी-3, ओसियन बिल्डिंग, 12, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 1991 से का नाम और शैली। जिसमें आप कनेक्टर्स, केबल, स्विच, तार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के स्टॉक और व्यापार का काम कर रहे थे जो हांगकांग/ताइवान से आयात किए जा रहे थे। आपके पुत्र आशीष चावला, इस फर्म के प्रबंध निदेशक थे।

6. आपने आगे कहा कि आप अपनी फर्मों के माध्यम से प्लास्टिक मोल्डेड आइटम, तार और केबल, कनेक्टर, हार्डवेयर स्विच इत्यादि जैसे घटकों का आयात कर रहे थे और आयात का यह काम आपके द्वारा देखा जा रहा था; आप स्वयं कीमतों पर बातचीत करते थे और मैसर्स लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैसर्स विंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स, नोएडा की ओर से ऑर्डर को अंतिम रूप देते थे, कि आप आयात सहित मैसर्स कनेक्टर्स एंड केबल्स के व्यावसायिक हितों की देखभाल कर रहे थे, कि उनका मुख्य विदेशी आपूर्तिकर्ता थे) मैसर्स पर्ल इंडस्ट्रियल कंपनी, हांगकांग। ii) मैसर्स मिरटेक्स एंटरप्राइजेज (एचके) लिमिटेड, ताइवान और हांगकांग, iii) मैसर्स आरएएफएस एंटरप्राइजेज, सिंगापुर iv) मैसर्स फिलिप्स, हॉलैंड। आपने आगे कहा कि आयात करने से पहले, आप आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए विदेशी आपूर्ति से एक प्रोफार्मा चालान मांगते थे, जिसके बाद कुछ मामलों में लिखित रूप में बिक्री की पुष्टि होती थी; नियमित वस्तुओं के लिए आपको बस एक

प्रोफार्मा चालान प्राप्त करना होता था और फिर फोन पर ऑर्डर देना होता था।

11. जूस एक्सट्रैक्टर वीसीआर और केबल के आयात के संबंध में आपके द्वारा विभिन्न बयानों में की गई स्वीकारोक्ति के मद्देनजर निदेशालय के अधिकारियों ने 30.12.1996 को मेसर्स विंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने के परिसर का फिर से दौरा किया और आगे की तलाशी ली। उक्त परिसर. परिणामस्वरूप, कार ऑडियो स्पीकर के 2460 टुकड़े "कोरिया में निर्मित" और 254 नग। 20 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के स्पेक्ट्रा स्ट्रैप प्लानर केबल बरामद किए गए, जिन्हें आगे की पूछताछ के लिए रोक दिया गया, जिन्हें बाद में 15.01.97 को जब्त कर लिया गया क्योंकि आप सहित कोई भी व्यक्ति उक्त सामान के कानूनी आयात और अधिग्रहण के लिए दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

12. इसके अलावा डीआरआई के अधिकारियों ने उन दस्तावेजों की जांच की जो 10.12.96 को की गई तलाशी के परिणामस्वरूप आपके विभिन्न परिसरों से बरामद किए गए थे। मेसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यावसायिक परिसर से अभिलेखों की जांच फिर से शुरू हुई। लिमिटेड ने वस्तुओं के सकल कम मूल्यांकन का खुलासा किया। कंपनी द्वारा ताइवान से आयातित कनेक्टर। यह पाया गया कि 1994 से उक्त कंपनी द्वारा आयातित सभी सामानों की आपूर्ति एक ही आपूर्तिकर्ता, मेसर्स मिरटेक्स एंटरप्राइजेज (एचके) लिमिटेड, ताइवान द्वारा की गई थी। जांच से पता चला कि यह एक शाखा कार्यालय था जिसका मुख्य कार्यालय हांगकांग में था।

13. मैसर्स मिरटेक्स के चालानों में दर्शाई गई वस्तुओं की कीमत, जिन्हें सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए सीमा शुल्क के लिए घोषित किया गया था, उनके कोटेशन/प्रोफार्मा चालान के साथ सहसंबंधित करने पर, यह देखा गया कि सामान का मूल्य लगभग 1/ की सीमा तक कम था। वास्तविक उद्धृत मूल्य का 5 वाँ भाग। प्रविष्टि 9 के संबंधित बिलों से, जिनकी संख्या के संबंध में अब तक सहसंबंध का अभ्यास किया गया है, यह पाया गया कि फर्म ने इस तरह के चालान के माध्यम से लगभग 25 लाख रुपये के सीमा शुल्क की चोरी की थी।

14. आपके बेटे और उक्त फर्म के प्रबंध निदेशक श्री आशीष चावला को अपना बयान देने के लिए 07.01.97 को बुलाया गया था। अपने लिखित बयान में, उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से वह मेसर्स मिरटेक्स को ऑर्डर दे रहे थे, हालांकि पहले आप ऑर्डर देते रहे थे; ऑर्डर देने की विधि यह है कि फर्म पहले ताइवान में निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन मांगती है, और इन कोटेशन के आधार पर वे मिर्टेक्स एंटरप्राइजेज, ताइवान को फैक्स पर ऑर्डर देते हैं।

28. इस प्रकार, आपके सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयानों से, निदेशालय द्वारा अब तक की गई जांच से, बरामद दस्तावेजों की जांच से, यह स्पष्ट है कि आप निम्नलिखित अपराधों में शामिल हैं:

(i) सामानों के बड़े पैमाने पर कम मूल्यांकन के माध्यम से कनेक्टर्स, केबल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात में 1.35 करोड़ रुपये से अधिक के सीमा शुल्क की बड़े पैमाने पर चोरी।

(ii) अवैध चैनलों के माध्यम से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को अंतर राशि भेजना, जब्त किए गए दस्तावेज़ से पता चलता है कि आपने जून,

1995 से सितंबर, 1996 की अवधि के दौरान अवैध चैनलों के माध्यम से 2,92,256.62 अमेरिकी डॉलर लगभग 85 लाख रुपये के बराबर भेजे हैं।

(iii) अपनी फर्म मेसर्स विंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से विभिन्न केबलों का आयात करना और उन्हें विभिन्न उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे कार कैसेट प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम आदि के निर्माण और संयोजन में उपयोग करना दिखाना, उसी पर MODVAT क्रेडिट लेना, लेकिन डायवर्ट करना ये केबल आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान मेसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स के माध्यम से बिक्री के लिए हैं और इस प्रकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 में मॉडवैट से संबंधित नियमों का उल्लंघन है।

(iv) जानबूझकर माल को ओजीएल के तहत आयात दिखाकर और माल के एक हिस्से को तीसरे पक्ष द्वारा आयातित दिखाकर एसकेडी स्थिति 890 वीसीआर और 1560 जूसर में असेंबली किटों का आयात करना, जबकि एसकेडी फॉर्म में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के आयात की आवश्यकता होती है। विशेष आयात लाइसेंस।"

6. 8.1.1997 को एसीएमएम, नई दिल्ली की अदालत में दिया गया आशीष चावला का बयान, जो अपीलकर्ता के अनुसार डीआरआई के अधिकारियों के समक्ष उनके (आशीष चावला) द्वारा दिए गए बयान को वापस लेने के समान है, नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"मैं 7.1.97 को दोपहर 2.30 बजे से विभाग के अधिकारियों की हिरासत में हूं। अधिकारियों ने धमकी और दबाव के तहत और पिटाई के बाद मुझसे झूठे और गलत बयान लिखवाए हैं और कई दस्तावेजों

पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और गहरा अपमान सहना पड़ा। मुझे पिछले एक दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। मुझे सोने या पानी पीने की अनुमति नहीं दी गई।

एसडी/-

(आशीष चावला)

8.1.97"

7. हिरासत के आधार बहुत विस्तृत और लंबे हैं और 35 पैराग्राफ और कई पृष्ठों में हैं। वे मैसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यावसायिक परिसरों से बरामद दस्तावेजों का उल्लेख करते हैं। मैसर्स विंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मैसर्स मोबिकॉन और मैसर्स लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का कारखाना परिसर लिमिटेड नोएडा में स्थित है और मेसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड का गोदाम भी है। लिमिटेड, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में। वे 19.12.1996 को दर्ज किए गए अपीलकर्ता के बयान का व्यापक रूप से उल्लेख करते हैं जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि वह अपने स्वामित्व वाली दो फर्मों, मेसर्स विंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मेसर्स लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से व्यापार कर रहे थे। लिमिटेड और उन्होंने मेसर्स कनेक्ट्रोनिक्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम और शैली में ट्रेडिंग सेंटर शुरू किया था। लिमिटेड और यह तथ्य भी कि उनके बेटे आशीष चावला इस फर्म के प्रबंध निदेशक थे। हिरासत आदेश में अपीलकर्ता के स्वयं के कई अन्य बयानों को संदर्भित किया गया है जो विभिन्न तारीखों पर दर्ज किए गए थे और उनके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति थी। आशीष चावला, जो अपीलकर्ता का बेटा है, के बयान को हिरासत आदेश के पैरा 14 में संदर्भित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अपने लिखित बयान में उसने कहा है कि पिछले एक साल से वह एम के साथ आदेश दे रहा था। /s MIRTEX हालांकि पहले अपीलकर्ता आदेश देता रहा था। हिरासत आदेश

के पैरा 15 में यह कहा गया है कि आशीष चावला को कई चालान और संबंधित कोटेशन/प्रोफार्मा चालान दिखाए गए थे, जिसमें प्रत्येक मामले में कीमतों में अंतर स्पष्ट था, जिस पर वह सहमत थे, लेकिन अंतर की व्याख्या नहीं कर सके। पूरे हिरासत आदेश को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने पूरी तरह से अपीलकर्ता विनोद के. चावला के बयान और फर्मों के व्यावसायिक परिसरों और गोदामों से बरामद दस्तावेजों और सामग्री पर भरोसा किया था, जो कि उनके स्वामित्व में थे। अपीलकर्ता. इसमें केवल आशीष चावला के बयान का एक संक्षिप्त संदर्भ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले एक साल से वह मेसर्स मिरटेक्स को ऑर्डर दे रहे थे, हालांकि पहले ऑर्डर अपीलकर्ता द्वारा दिए गए थे। हिरासत का आदेश बिल्कुल भी आशीष चावला के बयान पर आधारित नहीं है और न ही हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उनके बयान से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई वास्तविक समर्थन लिया गया है कि अपीलकर्ता उन फर्मों का मालिक था जिन्होंने विभिन्न आयात के आदेश दिए थे। सीमा शुल्क से बचने के लिए वस्तुओं और चालानों का जानबूझकर बहुत कम मूल्य निर्धारण किया गया और अवैध चैनलों के माध्यम से भारी मात्रा में धन भेजा गया। एक और तथ्य जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि आशीष चावला ने केवल यह कहा था कि अपीलकर्ता द्वारा अपने बयान की रिकॉर्डिंग से एक साल पहले तक मेसर्स मिरटेक्स को ऑर्डर दिए जाते थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बयान को कथित रूप से वापस लेना अपीलकर्ता द्वारा नहीं बल्कि उनके बेटे आशीष चावला द्वारा किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हिरासत आदेश आशीष चावला के बयान पर आधारित नहीं है बल्कि केवल उसका एक संक्षिप्त संदर्भ देता है। यदि अपीलकर्ता अपने बयान से मुकर गया होता और उक्त बयान को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया होता, तो स्थिति अलग हो सकती थी क्योंकि ऐसे मामले में यह आग्रह किया जा सकता था कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा राय का गठन और उसमें उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि सम्मान प्रभावित

हुआ था. लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं है. आशीष चावला द्वारा बयान वापस लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह किसी भी तरह से राय के गठन और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

8. हम यहां यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि कानून में यह आवश्यक नहीं है कि प्रायोजक प्राधिकारी के कब्जे में प्रत्येक दस्तावेज या सामग्री को उसके द्वारा हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए और हर मामले में जहां प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या सामग्री नहीं रखी गई है। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष अधिकार, राय का गठन और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि खराब हो जाएगी। इस न्यायालय के कई निर्णयों में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है। अब्दुल सथार इब्राहिम माणिक बनाम भारत संघ एवं अन्य में । एआईआर 1991 एससी 2261, इसे इस प्रकार आयोजित किया गया:

> "यदि बंदी ने जमानत के लिए आवेदन किया है तो आवेदन और उस पर जमानत से इनकार करने का आदेश, भले ही हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया हो, यह प्रासंगिक सामग्री को दबाने के समान नहीं है। दिमाग का उपयोग न करने और संतुष्टि खराब होने का सवाल ही नहीं उठता है जब तक हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य की जानकारी थी कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति वास्तविक हिरासत में था।"

के. वरदराज बनाम टीएन राज्य एवं अन्य में (2002) 6 एससीसी 735, बंदी को अवैध शराब के व्यापार में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उक्त मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से उन्हें 19.10.2001 को

जमानत मिल गयी थी. इसके बाद, 8.11.2001 को तमिलनाडु बूटलेगर्स, ड्रग अपराधियों, वन अपराधियों, गुंडों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और स्लम ग्रैबर्स की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1982 के तहत हिरासत का आदेश दिया गया था। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास जमानत देने के लिए न तो आवेदन था और न ही विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत देने का आदेश पारित किया गया था। इसके विपरीत, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने इस तथ्य को नोट करने के लिए अदालत द्वारा दिए गए रिमांड आदेश पर विचार किया कि अपीलकर्ता हिरासत में था। हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने हिरासत आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि इस तथ्य से खराब हो गई थी कि अपीलकर्ता को हिरासत में लिया जाना चाहिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज पर विचार किया जाना चाहिए था। जमानत के लिए उसकी अर्जी और उस पर दिए गए सत्र न्यायाधीश के आदेश को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया था। यह न्यायालय एम. अहमदकुट्टी बनाम भारत संघ (1990) 2 एससीसी 1 और अब्दुल सथार इब्राहिम माणिक बनाम भारत संघ और अन्य का उल्लेख करने के बाद । 1992 (1) एससीसी 1 ने पाया कि जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करना और उस पर दिया गया आदेश हमेशा अनिवार्य नहीं होता है और ऐसी आवश्यकता प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी और अंततः इस संबंध में बंदी द्वारा उठाए गए विवाद को खारिज कर दिया। सुनीला जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले में इस दृष्टिकोण को दोहराया गया है। 2006 (3) एससीसी 321। इसलिए, हमारी स्पष्ट राय है कि प्रायोजक प्राधिकारी ने आशीष चावला द्वारा 8.1.1997 को एसीएमएम, नई दिल्ली की अदालत में दिए गए बयान को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा था। , इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राय का गठन और

हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि किसी भी तरह से खराब हो गई थी।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने 24.3.1998 को अपनी नजरबंदी के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया था, जिसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने 21.4.1998 को और केंद्र सरकार ने 29.4.1998 को खारिज कर दिया था और इसे ध्यान में रखते हुए अभ्यावेदन के निपटान में अत्यधिक देरी के कारण अपीलकर्ता की निरंतर हिरासत को अवैध बना दिया गया। इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का हवाला दिया गया जहां बंदी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के शीघ्र निपटान पर जोर दिया गया है और यह भी देखा गया कि अभ्यावेदन के निपटान में अस्पष्ट देरी से जारी हिरासत अवैध हो जाती है।

10. उठाए गए विवाद को तथ्यों से परे किसी सीधे जैकेट फॉर्मूले से नहीं आंका जा सकता। इसकी जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में की जानी चाहिए, जिसमें हिरासत के आधार की मात्रा और सामग्री, आधार के साथ प्रदान किए गए दस्तावेज, विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच, हिरासत की प्रकृति शामिल हो। पूछताछ, उठाई गई विभिन्न दलीलों की जांच करने के लिए आवश्यक समय, संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा टिप्पणियां दर्ज करने में आवश्यक समय, इत्यादि।

11. एलएमएस उम्मू सलीमा बनाम बीबी गुजराल और अन्य में। एआईआर 1981 एससी 1191 में यह माना गया था कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बंदी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर हिरासत प्राधिकारी द्वारा अत्यंत शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम डब्ल्यूसी खांबरा एआईआर 1980 एससी 849 में देखा गया, "द समय की अनिवार्यता कभी भी निरपेक्ष या जुनूनी नहीं हो सकती।" मदन लाल आनंद बनाम भारत संघ एवं अन्य में । एआईआर 1990 एससी 176, COFEPOSA के तहत हिरासत में लिए गए बंदी का

प्रतिनिधित्व दिनांक 17.1.1989 को एक महीने से अधिक समय के बाद 20.2.1989 को खारिज कर दिया गया था। एलएमएस उम्मू सलीमा (सुप्रा) का उल्लेख करने के बाद यह माना गया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने प्रतिनिधित्व के निपटान में देरी की व्याख्या की थी और तदनुसार हिरासत के आदेश को उस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है। कमरुन्निसा बनाम भारत संघ एवं अन्य में । एआईआर 1991 एससी 1640, बंदी द्वारा 18.12.1989 को दिया गया अभ्यावेदन 30.1.1990 को खारिज कर दिया गया था और यह तर्क दिया गया था कि अभ्यावेदन पर विचार करने में अत्यधिक देरी हुई थी। जवाब में दायर जवाबी हलफनामे में दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया कि प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणियों को अग्रेषित करने में काफी समय लिया गया। बंदी की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रायोजक प्राधिकारी के विचार पूरी तरह से अनावश्यक थे और उस प्राधिकारी द्वारा लिए गए समय पर विचार नहीं किया जा सकता था। इस विवाद को इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया और यह देखा गया कि प्रस्ताव शुरू करने वाले प्राधिकारी से परामर्श करना कभी भी अनुचित अभ्यास नहीं कहा जा सकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी को ठीक से समझाया गया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और इसका निर्णय शून्य में नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, बीरेंद्र कुमार राय बनाम भारत संघ और अन्य में । एआईआर 1993 एससी 962, याचिकाकर्ता ने 22.12.1990 को अपनी नजरबंदी के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया जिसे केंद्र सरकार ने एक महीने बाद 25.1.1991 को खारिज कर दिया। यह देखा गया कि अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण ऐसा नहीं था जिससे अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता या उदासीनता का अनुमान लगाया जा सके और तदनुसार देरी के आधार पर चुनौती खारिज कर दी गई। इस न्यायालय के बाद के फैसले भी इसी तर्ज पर हैं और हम उन्हें संदर्भित करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रतिनिधित्व पर विचार करने में कोई

निष्क्रियता या सुस्ती नहीं होनी चाहिए और जहां इसके लिए उचित स्पष्टीकरण है। अभ्यावेदन के निपटान में लगने वाला समय भले ही लंबा हो, लेकिन बंदी की निरंतर हिरासत को किसी भी तरह से अवैध नहीं माना जाएगा।

12. वर्तमान मामले में हिरासत का आधार 35 पैराग्राफों का एक लंबा आधार है, जिसके साथ 447 पृष्ठों के 82 दस्तावेज़ थे। अपीलकर्ता द्वारा दिया गया अभ्यावेदन भी काफी लंबा था। अपीलकर्ता द्वारा 24.3.1998 को दिया गया अभ्यावेदन 27.3.1998 को मंत्रालय में प्राप्त हुआ। प्रायोजक प्राधिकारी की टिप्पणियाँ 30.3.1998 को मांगी गईं जो 17.4.1998 को प्राप्त हुईं। टिप्पणियाँ 22.4.1998 (18 और 19 को छुट्टियाँ होने के कारण) को एडीजी के माध्यम से सचिव (आर) के समक्ष रखी गईं। केंद्र सरकार का निर्णय 29.4.1998 (25 और 26 को अवकाश होने के कारण) लिया गया और सूचित किया गया। इस बीच हिरासत प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर भी विचार किया गया और 21.4.1998 को इसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रायोजक प्राधिकारी की ओर से दायर अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया था कि उन्हें अभ्यावेदन 2.4.1998 को प्राप्त हुआ था और टिप्पणियाँ 17.4.1998 को भेजी गई थीं। इस दौरान 4, 5, 8 से 12 अप्रैल तक छुट्टियाँ थीं और केवल सात कार्य दिवस उपलब्ध थे। फिर 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को छुट्टियां रहीं. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी स्पष्ट राय है कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने और उसके निपटान में लगे पूरे समय को पूरी तरह से समझाया गया है और यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ था अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में कोई अत्यधिक देरी या अस्पष्ट देरी। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी के आधार पर हिरासत आदेश को दी गई चुनौती में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

13. अंत में आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता के परिसर की तलाशी 20.12.1996 और 30.12.1996 को की गई थी और उसका बयान भी 19.12.1996 और

30.1.1997 के बीच दर्ज किया गया था, लेकिन उसे एक से अधिक समय के बाद हिरासत में ले लिया गया था। वर्ष 12.3.1998 को और इस लंबी देरी के कारण अपीलकर्ता की कथित गतिविधियों में लाइव और निकटतम लिंक और उसकी वास्तविक हिरासत की तारीख को हटा दिया गया था और अपीलकर्ता को हिरासत में लेने का कोई उचित कारण नहीं था। उठाया गया तर्क पूरी तरह गलत है। तलाशी लेने और उसका बयान दर्ज करने के तुरंत बाद 12.2.1997 को हिरासत का आदेश पारित किया गया था, लेकिन चूंकि अपीलकर्ता गिरफ्तारी से बच रहा था और फरार था, इसलिए इसे 12.3.1998 को ही जारी किया जा सका जब उसे हिरासत में ले लिया गया। प्रतिवादियों की ओर से उच्च न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया कि अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ डीआरआई के अधिकारियों द्वारा लगातार प्रयास किए गए थे। COFEPOSA की धारा 7(1)(बी) के तहत एक नोटिस 23.3.1997 को आधिकारिक राजपत्र में और 4.10.1997 को प्रमुख अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम की धारा 7(1)(ए) के तहत एक आवेदन भी सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एसीएमएम की अदालत में दायर किया गया था, जहां 9.1.1998 को पेश होने के लिए 3.12.1997 को उद्घोषणा की गई थी। धारा 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की का आदेश भी जारी किया गया था जिसे उसके परिवार के सदस्यों के ध्यान में लाया गया था और उसके बाद ही अपीलकर्ता को 12.3.1998 को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सका। बंदियों की सेवा के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में पुलिस मुख्यालय के दिनांक 28.2.1997, 17.7.1997 और 5.9.1997 के तीन पत्रों का भी संदर्भ दिया गया है और उन पत्रों की प्रतियां रिकॉर्ड में रखी गई हैं। हर बार अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों ने पुलिस के समक्ष रिपोर्ट दी कि अपीलकर्ता 12.3.1997 को घर छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चला गया था और उसका कोई अता-पता नहीं था। राजस्व खुफिया के सहायक निदेशक का एक अतिरिक्त हलफनामा भी उच्च न्यायालय के समक्ष दायर

किया गया था जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता को 20.2.1997 और 26.11.1997 के दौरान 11 समन जारी किए गए थे और 5.3.1997 को डीआरआई द्वारा एक रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। ये तथ्य निर्णायक रूप से स्थापित करते हैं कि हिरासत आदेश, जो तलाशी के तुरंत बाद 12.2.1997 को पारित किया गया था और अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया गया था, उसे तामील नहीं कराया जा सका, जबकि उसे दोषी ठहराने की हर संभव कोशिश की गई थी। अपीलकर्ता फरार था. जहां कोई व्यक्ति स्वयं हिरासत आदेश की तामील से बचता है, तो उसके लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि अपमानजनक गतिविधियों और वास्तविक गिरफ्तारी तथा हिरासत के बीच लंबी अवधि बीत जाने के कारण महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई है और इसके लिए कोई आधार नहीं है। वास्तव में उसे हिरासत में लिया जा रहा है। अन्यथा वैध हिरासत आदेश को बंदी के स्वयं के गिरफ्तारी से बचने और खुद को दुर्लभ बनाने के कार्य के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उठाए गए विवाद में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

14. उक्त विवेचन के मद्देनजर, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। अपील पूर्णतः गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुकेश त्यागी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।